

उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, 1975]

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 27 दिसम्बर, 1974 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने दिनांक 26 फरवरी, 1975 ई० को बँठक में स्वीकृत किया)

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 6 मार्च, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी आसाधारण गजट में दिनांक 23 मार्च, 1975 ई० को प्रकाशित हुआ]

राज्य में वनों के अपेक्षाकृत अच्छे परिचालन, पर्यवेक्षण तथा विकास और वन-उपज के अपेक्षाकृत अच्छे विमोहन के लिये एक निगम का स्थापना तथा उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- 1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम, 1974 कहलायेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।
(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, तदर्थ नियत करे ।

संज्ञित नाम,
विस्तार तथा
प्रारम्भ

2—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "निगम" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वन निगम से है;
(ख) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी नगर महापालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नोटीफाइड एरिया कमेटी, जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, क्षेत्र समिति अथवा गांव सभा से है;

परिभाषाएँ

संज्ञित और धारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 22 अगस्त, 1974 ई० का सरकारी आसाधारण गजट देखिए ।

- (ग) प्रबन्धक निदेशक का तात्पर्य निम्नलिखित नियुक्त निगम के प्रबन्धक निदेशक से है;
- (घ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;
- (ङ) "विनियम" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों से है;
- (च) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

अध्याय 2

निगम की स्थापना तथा उसका गठन

निगम की स्थापना

3—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसे दिनांक से जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जायेगा, उत्तर प्रदेश वन निगम के नाम से एक निगम गठित करेगी।

(2) निगम शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा तथा वह अपने निगमित नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा तथा उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा उसका निस्तारण करने की शक्ति होगी।

(3) निगम समस्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी होगा।

(4) निगम का मुख्यालय लखनऊ में होगा तथा उसके कार्यालय ऐसे अन्य स्थानों पर भी हो सकते हैं जहाँ वह आवश्यक समझे।

निगम का गठन

4—(1) निगम में एक अध्यक्ष जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी तथा निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्—

(क) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन सेवा करने वाले अधिकारियों में से नियुक्त किये जायेंगे, जिनमें से एक को निगम का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया जायेगा; और

(ख) तीन से अधिक अशासकीय सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हें उसकी राय में वनों के परिरक्षण तथा विकास से सम्बन्धित विषयों का अनुभव हो, नियुक्त किये जायेंगे।

(2) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति गजट में अधिसूचित की जायेगी।

अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के लिये अनर्हतायें

5—कोई व्यक्ति निगम का अध्यक्ष अथवा अन्य सदस्य नियुक्त किये जाने अथवा होने के लिये अनर्हत होगा, यदि वह—

(क) किसी ऐसे अपराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता समन्वित हो; या

(ख) अनुमोचित दिवालिया हो; या

(ग) ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो; या

(घ) राज्य सरकार की राय में निगम के सर्वोत्तम हित में कार्य करने में असफल रहा हो अथवा उसके लिये असमर्थ हो गया हो या उसने अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जिससे कि उसका उस रूप में बना रहना निगम अथवा जन-साधारण के हित के लिये हानिकर हो गया हो; या

(ङ) स्वयं या किसी भागीदार, सेवायोजक या कर्मचारी द्वारा निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या सेवायोजन में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का कोई अंश या हित रखता हो, या

(च) किसी ऐसी कम्पनी का निदेशक, सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हो जो निगम के साथ, उसके द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश अथवा हित रखती हो।

प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ङ) अथवा खंड (च) के अधीन कोई व्यक्ति केवल इस कारण से अनर्ह नहीं होगा कि उसका या उस कम्पनी का, जिसका वह निदेशक, सचिव, प्रबन्धक अथवा अन्य अधिकारी हो,—

(1) किसी स्थावर सम्पत्ति की बिक्री, क्रय, उसे पट्टे पर देने या उसके विनिमय अथवा बिक्री, क्रय, पट्टा या विनिमय के लिये किये गये किसी करार में;

(2) धन के ऋण के लिये किसी करार में या केवल धन के भुगतान के लिये किसी प्रतिभूति में;

(3) किसी ऐसे समाचार-पत्र में, जिसमें निगम के कार्य-कलापो क सम्बन्ध में कोई विज्ञापन प्रकाशित किया जाता हो;

(4) निगम को किसी एक वर्ष में दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य तक की किसी ऐसी वस्तु को, जिसमें वह या कम्पनी नियमित रूप से व्यापार करती हो यदा-कदा बिक्री में,

कोई अंश या हित है ।

स्पष्टीकरण—किसी व्यक्ति के बारे में केवल इस कारण से कि वह किसी ऐसी कम्पनी में अंशधारी है जिसका कि ऐसा अंश या हित है, यह नहीं समझा जायेगा कि उसका निगम के साथ, उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से की गई किसी संविदा या सेवायोजन में कोई अंश या हित है ।

6—(1) निगम के अध्यक्ष को, यदि वह राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाला कोई अधि-कारी न हो, या किसी अशासकीय सदस्य की पदावधि तीन वर्ष होगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा उसे गजट में अधिसूचना द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिया जाय ।

(2) अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य किसी भी समय, राज्य सरकार को सम्बोधित स्व-हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर यह समझा जायेगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है ।

7—(1) यदि अध्यक्ष या कोई अशासकीय सदस्य अशक्तता के कारण अथवा अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में अस्थायी रूप से असमर्थ हो जाय अथवा उन परिस्थितियों से जिनमें उसका पद रिक्त होना अर्न्तग्रस्त न हो भिन्न परिस्थितियों में अनुपस्थित हो तो राज्य सरकार उसके स्थान पर कार्य करने तथा इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है ।

(2) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष या किसी अशासकीय सदस्य के त्याग-पत्र दिये जाने अथवा किसी अन्य कारण से होने वाली कोई आकस्मिक रिक्ति नई नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष या अशासकीय सदस्य, यथास्थिति, उस अध्यक्ष या अशासकीय सदस्य को, जिसके स्थान पर वह इस प्रकार नियुक्त किया जाय, अवशिष्ट पदावधि के लिये पद धारण करेगा ।

8—(1) निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति, जिन्हें, राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष प्रादेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के परामर्श से अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन से, जैसा भी राज्य सरकार निदेश दे, की जायेगी ।

(2) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय निकाय के किसी कर्मचारी को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिनके बारे में सहमति हो जाय नियुक्त कर सकता है ।

9—(1) अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्य निगम की निधि में से ऐसे यात्रा तथा दैनिक भत्ते पाने के हकदार होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें ।

(2) निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य कर्मचारी निगम की निधि से ऐसे वेतन तथा भत्ते पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें ।

10—निगम के अधीक्षण के अधीन रहते हुये निगम के कर्मचारियों पर सामान्य नियंत्रण प्रबन्ध निदेशक में निहित होगा ।

11—(1) निगम की बैठक ऐसे समय तथा ऐसे स्थानों पर होगी और वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें ।

(2) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित निगम का कोई सदस्य, निगम की बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

(3) निगम की बैठकों में समस्त प्रश्न उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किये जायेंगे और बराबर-बराबर मत होने की दशा में अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य को द्वितीय अथवा निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

(4) अध्यक्ष, निगम को किसी विषय में सहायता देने अथवा परामर्श देने के प्रयोजनार्थ किसी व्यक्ति को निगम की बैठक में उपस्थित होने के लिये आमंत्रित कर सकता है और इस प्रकार आमंत्रित व्यक्ति निगम के विचार-विमर्श में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार न होगा ।

अध्यक्ष तथा अशासकीय सदस्यों की पदावधि

आकस्मिक रिक्ति

निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति

वेतन तथा भत्ते

प्रबन्ध निदेशक द्वारा नियंत्रण बैठक

हित के कारण कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये अनर्हता

रिक्ति आदि के कारण कोई कार्य अधिमान्य नहीं होगा

12—कोई सदस्य, जो निगम की ओर से की गई अथवा किये जाने के लिये प्रस्थापित किसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अथवा हितबद्ध हो शीघ्रतम सम्भव अवसर पर निगम को अपने हित का स्वरूप प्रकट करेगा और उसकी किसी भी बैठक में, जब कभी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना पर विचार-विमर्श हो, तब तक उपस्थित नहीं होगा जब तक की सूचना प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अन्य सदस्यों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा न की जाय और उपस्थित होने के लिये इस प्रकार अपेक्षित कोई सदस्य किसी ऐसी संविदा, ऋण, ठहराव अथवा प्रस्थापना पर मत नहीं देगा ।

13—निगम द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्य-वाही केवल निगम में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण अधिमान्य नहीं समझी जायेगी ।

अध्याय 3

निगम के कृत्य और उसकी शक्तियां

निगम के कृत्य

14—इस अधिनियम के उपबन्धों तथा राज्य सरकार के किन्हीं सामान्य अथवा विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुये, निगम के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गये वृक्षों को हटाना और उनका निस्तारण करना तथा वन सस्पेन्डा का विदोहन करना ;

(ख) राज्य के भीतर वन-विज्ञान से सम्बन्धित परियोजनायें तैयार करना ;

(ग) वन तथा वन-उत्पाद से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यक्रम चलाना और वन-विज्ञान से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार को तकनीकी सलाह देना ;

(घ) ऐसे वनों का प्रबन्ध, अनुरक्षण तथा विकास करना जो उसे राज्य सरकार द्वारा अन्तरित किये जायें अथवा सौंपे जायें ;

(ङ) ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जिनकी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय ।

निगम की शक्तियां

15—(1) निगम को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसा कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हों ।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी :—

(क) वन के कच्चे माल के प्रसंस्करण के लिये कर्मशालायें अथवा कारखाने स्थापित करना ;

(ख) प्रयोगशालायें और प्रायोगिक तथा अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन करना ;

(ग) किसी व्यक्ति से ऐसी संविदा अथवा ठहराव करना जिसे निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे ;

(घ) धन उधार लेना, ऋण-पत्र जारी करना और अपनी निधियों का प्रबन्ध करना ; और

(ङ) व्यय करना तथा ऐसे व्यक्तियों को ऋण तथा अधिम स्वीकृत करना जिन्हें निगम इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये आवश्यक समझे ।

निगम की अन्य व्यक्तियों की रचना पर परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने की शक्ति

16—निगम, राज्य सरकार के अनुरोध पर अथवा, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर, किसी वनरोपण परियोजना के निष्पादन को, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जिसके बारे में सहमति हो जाय, अपने हाथ में ले सकता है ।

अध्याय 4

वित्त लेखे तथा लेखा परीक्षा

निगम की निधि

17—(1) निगम की अपनी निधि होगी जो स्थानीय निधि होगी और जिसमें निगम द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समस्त धन जमा किया जायेगा ।

(2) निधि का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन निगम द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्यय को पूरा करने में किया जायेगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निगम को ऐसी नकद धनराशि रखने से जो चालू निगमतान के लिये आवश्यक हो, अथवा निधि के किसी भाग को जो तुरन्त व्यय करने के लिये अपेक्षित न हो, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में वर्णित किन्हीं प्रतिभूतियों में विनिहित करने से अवधारित करने वाली न समझी जायेगी।

18—(1) निगम, समय-समय पर राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के जिन्हें राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेशों द्वारा अवधारित करे अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित कोई धनराशि या तो बन्ध-पत्र या निधि-पत्र जारी करके या अन्य प्रकार से या बैंकों से ठहराव करके उधार ले सकता है।

निगम की उधार लेने की शक्ति

(2) इस धारा के अधीन निगम द्वारा जारी किया गया निधि-पत्र ऐसी रीति से जारी या अवधारित किया जायगा अथवा ऐसी रीति से उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी या उसे मौजित किया जायगा जो राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा निर्देशित करे।

19—राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल के सम्यक् विधीय विनियोजन के पश्चात् समय-समय पर, निगम को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे, दे सकती है।

निगम को वित्तीय सहायता

20—राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर जिन्हें वह अवधारित करे निगम को ऋण दे सकती है।

निगम को ऋण

21—(1) निगम अपने द्वारा लिये गये किसी ऋण के प्रति संवाह के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से जो विहित की जाय, एक निक्षेप निधि स्थापित करेगा।

ऋणों का प्रतिसंवाह

(2) निक्षेप निधि, ऐसी रीति से जो विहित की जाय, अनुरक्षित तथा विनियोजित की जायगी और उपयोग में लायी जायगी।

22—निगम प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे समय पर, जैसा राज्य सरकार निर्देश दे, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में बजट तैयार करेगा जिसमें निगम की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय विहित किये जायेंगे।

बजट

23—(1) निगम उचित लेखे रखेगा और लेखे का वार्षिक विवरण जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे।

लेखे तथा लेखा परीक्षा

(2) निगम के लेखे प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा परीक्षित किये जायेंगे, ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय निगम द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक को देय होगा।

(3) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अथवा निगम के लेखों को लेखा परीक्षा करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को ऐसी लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे जो किसी स्थानीय निकाय के लेखों की लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के होते हैं और विशिष्टियां उसे बहियां, लेखे, सम्बद्ध वाउचर तथा अन्य दस्तवेजों और पत्रादि प्रस्तुत किये जाने की मांग करने तथा निगम के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित निगम के लेखे तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष भेजे जायेंगे।

(5) राज्य सरकार:—

(क) उपधारा (4) के अधीन प्राप्त निगम के लेखे और उनके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधान मंडल के एक सदन के समक्ष रखवायेगी; और

(ख) निगम के लेखे को नियत रीति से प्रकाशित करवायेगी तथा उचित मूल्य पर बिक्री के लिये उसकी प्रतिलिपियों को उपलब्ध करायेगी।

24—(1) निगम का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, कोई अन्य सदस्य या कोई कर्मचारी निगम के किसी धन या सम्पत्ति की हालि, दुर्गम्य अथवा दुरुपयोजन के लिये अधिभार का वायी होगा, यदि ऐसी हालि, दुर्गम्य या दुरुपयोजन ऐसे अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या अन्य सदस्य या कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए उत्पन्न उभेता या दुराचरण का सीधा परिणाम हो।

अधिभार

(2) अधिभार की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाय।

(3) कोई धनराशि जो ऐसी हानि, दुब्य... की गई... अधिनियम की प्राक्कियाओं के परिणामस्वरूप अन्तर्गत पाई जाय, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(4) उपधारा (3) की कोई बात निगम को इस बात से निवारित नहीं करेगी कि वह उससे निदिष्ट धनराशि की, यथास्थिति, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या अन्य सदस्य या कर्मचारी को निगम द्वारा देय किसी धनराशि में से कटौती कर ले।

अध्याय 5

वाह्य नियंत्रण

नीति विषयक प्रश्नों पर निदेश

25--(1) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में निगम नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा मार्ग-दर्शित होगा जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायें।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निदेश जारी कर सकती है तो उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

वार्षिक रिपोर्ट

26--(1) निगम, प्रत्येक वित्तीय वर्ष को समाप्त के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, ऐसे दिनांक के पूर्व तथा ऐसे प्रयत्न में, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, एक रिपोर्ट जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये अपने कार्य-कलापों का लेखा दिया जायेगा, तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट में ऐसे कार्य-कलापों का भी यदि कोई हों, लेखा दिया जायेगा जिन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में निगम द्वारा हाथ में लिये जाने की सम्भावना हो और राज्य सरकार ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् उसे, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन को समक्ष रखवायेगी।

(2) निगम, राज्य सरकार को ऐसे समय पर और ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से जैसा राज्य सरकार निदेश दे, ऐसे आंकड़े तथा विवरणियाँ और निगम के किसी प्रस्थापित या वर्तमान कार्य-कलापों अथवा निगम के नियंत्रणाधीन किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में ऐसी विशिष्टियाँ जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

स्थानीय निकाय निगम को सहायता देगे

27--(1) प्रत्येक स्थानीय निकाय निगम को ऐसी सहायता देगा और ऐसी सूचना प्रस्तुत करेगा और उसके निरीक्षण तथा परीक्षण के लिये ऐसे अभिलेख, मानचित्र, रेखांक तथा अन्य दस्तावेजें उपलब्ध करेगा जिनकी वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के सम्बन्ध में अपेक्षा करे।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी स्थानीय निकाय को ऐसे निदेश दे सकती है जो उसकी राय में निगम को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ बनाने के लिये आवश्यक अथवा समीचीन हो और तदुपरान्त ऐसे निदेशों का पालन करना उस स्थानीय निकाय का कर्त्तव्य होगा।

सद्भाव पूर्ण की गई कार्यवाही के लिये संरक्षण

28--कोई बाद, अभियोजन अथवा विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या निगम या उसके अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य सदस्य अथवा राज्य सरकार या निगम के किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम अथवा तदधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो अथवा किये जाने के लिये आशयित हो।

सदस्य आदि लोक सेवक समझे जायेंगे

29--निगम का अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक तथा अन्य सदस्य और कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्य हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

निगम की कार्य-वाहियों, आदेशों तथा अन्य लिखतों का अधि-प्रमाणिकरण।

30--निगम की समस्त कार्यवाहियाँ, यथास्थिति, अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में, निगम की बँठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत की जायेंगी और निगम द्वारा जारी किये गये सभी आदेश तथा अन्य लिखत निगम के ऐसे कर्मचारी के जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत किये जायेंगे।

राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, भारतीय वन अधिनियम, 1927 अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, निगम को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(2) इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निगम सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों के अधीन, जिसके अन्तर्गत अपने द्वारा पुनर्विलोकन की शर्त भी है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जायें, अपनी ऐसी शक्तियों तथा कर्तव्यों को जो उपधारा (1) के अधीन उसे प्रत्यायोजित शक्तियां तथा कर्तव्य न हों और जिन्हें वह आवश्यक समझे, निगम के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य सदस्य अथवा कर्मचारी को प्रत्यायोजित कर सकता है।

32—राज्य सरकार, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 72 के अधीन वन अधिकारी को समस्त अथवा कोई शक्ति निगम के प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी भी कर्मचारी को विनिहित कर सकती है और ऐसी शक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक या ऐसा कर्मचारी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 2 के खंड (2) के अन्तर्गत वन अधिकारी समझा जायगा।

33—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

- (क) वह रीति, जिसके अनुसार धारा 21 के अधीन निक्षेप निधि स्थापित, अनुरक्षित और विनियोजित की जावेगी तथा उपयोग में लाई जायगी;
- (ख) धारा 24 के अधीन अधिभार के सम्बन्ध में प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत उसके सम्बन्ध में अपील की व्यवस्था, यदि कोई हो, की है;
- (ग) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना हो या जो विहित किया जाय।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब कि उसका सत्र चला रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में विस्तारित हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक नियत न किया जायें गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशूचनों के अधीन रहते हुए भावी होंगे जो विधान मंडल के दोनों सदन, उभर, अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु स प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशूचन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

34—(1) निगम, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, निगम के शासन के लिये ऐसे विनियम बना सकता है जो इस अधिनियम तथा तदधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:—

- (क) निगम के प्रबन्ध निदेशक और कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें, तथा अध्यक्ष तथा प्रशासकीय सदस्यों को दिये जाने वाला यात्रा तथा दैनिक भत्ता;
- (ख) निगम को कों का समय तथा स्थान और बैठकों में कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया के नियम;
- (ग) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जाए।

(3) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन, निगम द्वारा कोई विनियम न बनाये जायें, कोई विनियम जो इस प्रकार उसके द्वारा बनाया जा सकता हो, राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, और इस प्रकार बनाये गये किन्हीं विनियमों में निगम उपधारा (1) के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करके परिवर्तन कर सकता है अथवा उन्हें विखंडित कर सकता है।

35—(1) उत्तर प्रदेश वन निगम अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम 13 सितम्बर, 1974 को प्रवृत्त हो गया था।

राज्य सरकार
अधिकारियों को
वन अधिकारी की
शक्तियां विनिहित
कर सकती है
नियम बनाने की
शक्ति

विनियम

निरसन तथा
अपवाद

प्रदेश
15,

THE UTTAR PRADESH FOREST CORPORATION ACT, 1974

(U. P. ACT NO. 4 OF 1975)

[* Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Van Nigam Adhiniyam, 1974]

AN ACT

to provide for the establishment of a Corporation for better preservation, supervision and development of forests and better exploitation of forest produce within the State and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Forest Corporation Act, 1974.

Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint in this behalf.

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

Definitions.

(a) "Corporation" means the Uttar Pradesh Forest Corporation, established under section 3;

(b) "local body" means a Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee, Notified Area Committee, Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Kshetra Samiti or Gaon Sabha ;

(c) "Managing Director" means the Managing Director of the Corporation appointed under clause (a) of sub-section (1) of section 4 ;

(d) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(e) "regulations" means regulations made under this Act;

(f) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh.

CHAPTER II

Establishment and Constitution of the Corporation

3. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette* and with effect from a date to be specified therein, constitute a corporation by the name of the Uttar Pradesh Forest Corporation.

Establishment of the Corporation.

(2) The Corporation shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and may sue and be sued in its corporate name and shall have the power to acquire, hold and dispose of property for the purposes of this Act.

(3) The Corporation shall for all purposes be a local authority.

(4) The Corporation shall have its head office at Lucknow and may have offices at such other places as it may consider necessary.

4. (1) The Corporation shall consist of a Chairman, to be appointed by the State Government and the following other members, namely :—

Constitution of the Corporation.

(a) five members to be appointed by the State Government from amongst the officers serving under it, one of whom shall be appointed as the Managing Director of the Corporation ; and

(b) not more than three non-official members to be appointed by the State Government from amongst the persons who in its opinion possess experience in matters relating to the preservation and development of forests.

(2) The appointment of the Chairman and other members shall be notified in the *Gazette*.

* (For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated August 22, 1974)..

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on December 27, 1974 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on February 26, 1975.)

(Received the assent of the Governor on March 6, 1975, under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 13, 1975).

Disqualifications
for being Chair-
man or other
member.

5. A person shall be disqualified to be appointed as, and for being the Chairman or other member of the Corporation, if he—

(a) has been convicted of an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or

(b) is an undischarged insolvent; or

(c) is physically or mentally incapable of acting as such member; or

(d) in the opinion of the State Government has failed to act or has become incapable of acting in the best interests of the Corporation or has so abused his position as the Chairman or other member, as to render his continuance as such detrimental to the interests of the Corporation or the general public; or

(e) has directly or indirectly by himself or by any partner, employer or employee has any share or interest, whether pecuniary or of any other nature, in any contract or employment, with, by, or on behalf of the Corporation; or

(f) is a director, secretary, manager or other officer of any company which has any share or interest in any contract or employment with by, or on behalf of the Corporation :

Provided that a person shall not be disqualified under clause (e) or clause (f) by reason only of his or the company in which he is a director, secretary, manager or other officer having a share or interest in—

(i) any sale, purchase, lease or exchange of immovable property or any agreement for the same;

(ii) any agreement for loan of money, or any security for payment or money only;

(iii) any newspaper in which any advertisement relating to the affairs of Corporation is published;

(iv) an occasional sale to the Corporation up to a value not exceeding ten thousand rupees in any year, of any article in which he or the company regularly trades.

Explanation—A person shall not be deemed to have any share or interest in any contract or employment with, by or on behalf of the Corporation by reason only of his being a share-holder of the company which has such share or interest.

Term of office
of the Chairman
and non-official
members.

6. (1) The term of office of the Chairman, if he is not an officer serving under the State Government, or of a non-official member of the Corporation shall be three years unless it is determined earlier by the State Government by notification in the *Gazette*.

(2) The Chairman or a non-official member of the Corporation may at any time, by writing under his hand addressed to the State Government, resign his office and on such resignation being accepted, he shall be deemed to have vacated his office.

Casual vacancy.

7. (1) If the Chairman or any non-official member is, by infirmity or otherwise, rendered temporarily incapable of carrying on his duty or is absent otherwise, in circumstances not involving the vacation of his appointment, the State Government may appoint another person to officiate for him and to carry out his functions under this Act.

(2) A casual vacancy created by the resignation of the Chairman or any non-official member under sub-section (2) of section 6 or for any other reason shall be filled by fresh appointment and the Chairman or non-official members so appointed shall hold office for the remainder of the term of the Chairman or, as the case may be, of the non-official member in whose place he is so appointed.

Appointment of
employees of the
Corporation.

8. (1) The Corporation may appoint such employees as it considers necessary for the efficient performance of his functions under this Act;

Provided that the appointment of such employees as the State Government may, by general or special order, specify, shall be made in consultation with the Public Service Commission, Uttar Pradesh or with the approval of the State Government, as the State Government may direct.

(2) The Corporation may, with the previous approval of the State Government, appoint an employee of the Central Government or the State Government or local body on such terms and conditions as may be agreed upon.

9. (1) The Chairman and non-official members shall be entitled to draw such travelling and daily allowances from the fund of the Corporation as may be determined by regulations.

(2) The Managing Director and other employees of the Corporation shall be entitled to receive from the fund of the Corporation such salaries and allowances and shall be governed by such conditions of service as may be determined by regulations.

10. Subject to the superintendence of the Corporation, the general control over the employees of the Corporation shall be vested in the Managing Director.

11. (1) The Corporation shall meet at such times and places and shall observe such procedure in regard to the transaction of business in its meetings as may be determined by regulations.

(2) The Chairman or in his absence, a member of the Corporation elected by the members present from amongst themselves, shall preside at the meeting of the Corporation.

(3) All questions at the meetings of the Corporation shall be decided by majority of votes of the members present and voting and in the case of equality of votes, the Chairman, or in his absence the member presiding, shall have a second or casting vote.

(4) The Chairman may invite any person to attend a meeting of the corporation for the purpose of assisting or advising it on any matter and the person so invited may take part in the discussions of the Corporation but shall have no right of vote.

12. A member who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal, entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Corporation shall at the earliest possible opportunity disclose the nature of his interest to the Corporation and shall not be present at any meeting thereof when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by other members for the purpose of eliciting information, and no member so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal.

13. No act done or proceedings taken under this Act, by the Corporation shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy or defect in the constitution of the Corporation.

Salaries and allowances.

Control by Managing Director.

Meetings.

Disqualification for participation in proceedings on account of interest.

Acts not to be invalidated by vacancy, etc.

CHAPTER III

Functions and powers of the Corporation

14. Subject to the provisions of this Act, and to any general or special directions of the State Government, the functions of the Corporation shall be following, namely:—

Function of the Corporation.

(a) to undertake removal and disposal of trees and exploitation of forest resources entrusted to it by the State Government;

(b) to prepare projects relating to forestry within the State;

(c) to undertake research programmes relating to forests and forest products and render technical advice to State Government on matters relating to forestry;

(d) to manage, maintain and develop such forests as are transferred or entrusted to it by the State Government;

(e) to perform such functions as the State Government may from time to time require.

Powers of the Corporation.

15. (1) The Corporation shall, subject to the provisions of this Act, have power to do anything which may be necessary or expedient for carrying out its functions under this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such power shall include the power—

(a) to set up workshops or factories for processing forest raw materials;

(b) to establish, maintain and operate laboratories and experimental and research stations;

(c) to enter into such contract or arrangement with any person as the Corporation may deem necessary for performing its functions under this Act;

(d) to borrow money, issue debentures and manage its fund; and

(e) to incur expenditure and grant loans and advances to such persons as the Corporation may deem necessary for performing its functions under this Act.

Power of the Corporation to undertake projects at the instance of others.

16. The Corporation may undertake the execution of any afforestation project at the request of the State Government or, with the previous approval of the State Government, at the request of any other person on such terms and conditions as may be agreed upon.

CHAPTER IV

Finance, Accounts and Audit

Fund of the Corporation.

17. (1) The Corporation shall have its own fund which shall be a local fund and to which shall be credited all moneys received by or on behalf of the Corporation.

(2) The fund shall be applied towards meeting expenses incurred by the Corporation in the discharge of its functions under this Act and for no other purpose.

(3) The money of the Fund shall be kept in the State Bank of India or in the Uttar Pradesh Co-operative Bank or in any Scheduled Bank:

Provided that nothing in this sub-section shall be deemed to preclude the Corporation from retaining such balances in cash as may be necessary for current payment or from investing any portion of the fund not required for immediate expenditure in any of the securities described in section 20 of the India Trusts Act, 1882.

Power of the Corporation to borrow.

18. (1) The Corporation may from time to time, with the previous sanction of the State Government and subject to the provisions of this Act and to such conditions as the State Government may by general or special order determine, borrow any sum required for the purposes of this Act, whether by the issue of bonds or stocks or otherwise or by making arrangement with bankers.

(2) Stock issued by the Corporation under this section shall be issued, transferred, dealt with and redeemed in such manner as the State Government may by, general or special order, direct.

Subventions to the Corporation.

19. The State Government may, after due appropriation by law of the State Legislature, from time to time make subventions to the Corporation for the purposes of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.

Loans to the Corporation.

20. The State Government may, from time to time, advance loans to the Corporation for the purposes of this Act on such terms and conditions as the State Government may determine.

Repayment of loans.

21. (1) The Corporation shall, for the purpose of repayment of any loan raised by it establish a Sinking Fund in such manner as may be prescribed.

(2) The Sinking Fund shall be maintained, invested and applied in such manner as may be prescribed.

Budget.

22. The Corporation shall prepare, in such form and at such time every year as the State Government may direct, budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure of the Corporation.

23. (1) The Corporation shall maintain proper accounts and prepare an annual statement of accounts including balance-sheet in such form as the State Government may direct.

(2) The accounts of the Corporation shall be subject to audit annually by the Examiner, Local Fund Accounts and any expenditure incurred by him in connection with such audit shall be payable by the Corporation to the Examiner, Local Fund Accounts.

(3) The Examiner, Local Fund Accounts or any person authorised by him in connection with the audit of accounts of the Corporation shall have the same rights, privileges and authority in connection with such audit as the Examiner, Local Fund Accounts has in connection with the audit of the accounts of a local body and, in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Corporation.

(4) The accounts of the Corporation as certified by the Examiner, Local Fund Accounts or any person authorised by him in that behalf together with the audit report thereof shall be forwarded annually to the State Government.

(5) The State Government shall—

(a) cause the accounts of the Corporation, together with the audit report thereon, received by it under sub-section (4) to be laid annually before each House of the State Legislature, and

(b) cause the accounts of the Corporation to be published in the prescribed manner and make available copies thereof for sale at a reasonable price.

24. (1) The Chairman, the Managing Director or any other member or any employee of the Corporation shall be liable to surcharge for the loss, waste or misapplication of any money or property of the Corporation if such loss, waste or misapplication is a direct consequence of his neglect or misconduct while acting as such Chairman, Managing Director or other member or employee.

Surcharge.

(2) The procedure of surcharge shall be such as may be prescribed.

(3) Any amount found to be involved in any such loss, waste or misapplication as a result of proceedings for surcharge shall be recoverable as arrears of land revenue.

(4) Nothing in sub-section (3) shall prevent the Corporation from deducting any amount referred to therein from any sum payable by the Corporation to Chairman, Managing Director or other member or employee, as the case may be.

CHAPTER V

External Control

25. (1) In the discharge of its functions under this Act, the Corporation shall be guided by such directions on questions of policy as may be given to it by the State Government.

Directions on question of policy

(2) If any question arises whether any matter is or is not a matter as respects which the State Government may issue a direction under sub-section (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

26. (1) The Corporation shall, as soon as may be after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government before such date and in such form as the State Government may direct, a report giving an account of its activities during the previous financial year, and such report shall also give an account of the activities, if any, which are likely to be undertaken by the Corporation in the next financial year and the State Government shall cause such report to be laid before each House of the State Legislature, as soon as may be, after it is received by the State Government.

Annual Reports.

(2) The Corporation shall furnish to the State Government at such times and in such form and manner as the State Government may direct such statistics and returns and such particulars in regard to any proposed or existing activities of the Corporation or any other matter under the control of the Corporation as the State Government may from time to time require.

Miscellaneous

Local bodies to assist the Corporation.

27. (1) Every local body shall render such assistance and furnish such information to the Corporation and make available for its inspection and examination such records, maps, plans and other documents as it may require in connection with the performance of its functions under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the State Government may give to any local body such directions as in its opinion are necessary or expedient for enabling the Corporation to perform its functions under this Act and thereupon it shall be the duty of the local body to comply with such directions.

Protection for action taken in good faith.

28. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or the Corporation or the Chairman or the Managing Director or any other member thereof or any employee of the State Government or the Corporation for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Members etc. deemed to be public servants.

29. The Chairman, Managing Director or other members and employees of the Corporation shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Authentication of proceedings, orders and other instruments of the Corporation.

30. All proceedings of the Corporation shall be authenticated by the signature of the Chairman or as the case may be, of the member presiding in the meeting of the Corporation in the absence of the Chairman, and all orders and other instruments issued by the Corporation shall be authenticated by the signature of such employee of the Corporation as may be authorised by it in this behalf.

Delegation of powers.

31. (1) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the State Government may by general or special order delegate either unconditionally or subject to such conditions including the condition of review by itself, as may be specified in the order to the Corporation such of its powers and duties under the Indian Forest Act, 1927 or any other law for the time being in force, as it may deem necessary.

(2) Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder the Corporation may, by general or special order, delegate either unconditionally or subject to such conditions, including the condition of review by itself, as may be specified in the order, to the Chairman or the Managing Director or any other member or employee of the Corporation such of its powers and duties not being the powers and duties delegated to it under sub-section (1), as it may deem necessary.

State Government may invest the officers with powers of Forest Officer.

32. The State Government may invest the Managing Director or any employee of the Corporation with all or any of the powers of a Forest Officer under section 72 of the Indian Forest Act, 1927, and the Managing Director or such employee in relation to such powers shall be deemed to be a Forest Officer within the meaning of clause (2) of section 2 of the Indian Forest Act, 1927.

Power to make rules.

33. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:

(a) the manner in which the Sinking Fund shall be established, maintained, invested and applied under section 21;

(b) the procedure in respect of surcharge under section 24 including the provision of appeal, if any, in respect thereof;

(c) any other matter which has to be or may be, prescribed.

(3) All rules made under this Act shall as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature while it is in session for a total period of not less than thirty days extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed take

